बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक– 7 स्था0 (7) विविध–30/2012.................. दिनांक– ..../2025

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार,

संयुक्त निदेशक (मु0)।

सेवा में,

जिला पशुपालन पदाधिकारी,

पटना।

विषयः– मकान किराया भत्ता के भुगतान हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 2893, दिनांक 25.11.2024 एवं पत्रांक 2502, दिनांक 05.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, पुनपुन, पटना एवं प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, फतुहा, पटना में कार्यरत कर्मियों का मकान किराया भत्ता 20% के दर से भुगतान हेतु मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि मकान किराया भत्ता की स्वीकृति राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर वित्त विभाग के द्वारा संकल्प निर्गत की जाती है। तद्नुसार राज्य के किसी कार्यालय का मकान किराया भत्ता के दरों में संशोधन की जाती है।

प्रासंगिक पत्र के विषयांकित मामले में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 8043/वि0, दिनांक 11.10.2017 एवं पत्रांक 5810 वि0, दिनांक 04.08.1984 के आलोक में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता स्वीकृति के संबंध में यथोचित निर्णय लेने हेतु आप स्वयं सक्षम प्राधिकार है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, पुनपुन, पटना एवं प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, फतुहा, पटना के मकान किराया भत्ता के अनुमान्यता के संदर्भ में उक्त वित्त विभागीय पत्र के आलोक में नियमानुकूल निर्णय लेते हुए तत्संबंधी मामले का निष्पादन अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह0/–

संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक :– 7 स्था0 (7) विविध–30/2012...506(वि0) पटना– 15, दिनांक–05/2/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.2.25

संयुक्त निदेशक (मु0)।